न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 16/19 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2019/00032

उनवान

1. समसू पुत्र रसूल खॉ
2. समसेर पुत्र फजरू
3. सुवान पुत्र रहीमवक्स

} जाति मेव नि0 ग्राम नगला श्याम तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार नगर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर दि0 25.05.2018 मि.नं. 60/18 उनवानी समसू बनाम जिला कलक्टर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय दिनांक–19.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी पर वादीगण अपीलाण्ट अपने बुर्जुगान के समय से ही काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा उस पर उनकी रिहायश बनी हुयी है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून उक्त खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नम्बरान को हाल खसरा नम्बर 127 में शामिल करते हुये गैर मुमकिन पोखर बना दिया है। जबकि गैर मुमकिन पोखर का साविक खसरा नम्बर 149 का रकवा 3 बीघा 5 विस्वा है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर राजस्व कर्मचारी विवादित आराजी से वादीगण अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी की किस्म परिवर्तन आबादी दर्ज किये जाने व विवादित आराजी से वादीगण अपीलाण्ट को बेदखल नहीं करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प पैडका में जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायालय तहत के क्षेत्राधिकार से परे है। क्योंकि अपीलाण्ट ग्राम नगला श्याम के निवासी हैं। फिर भी अपीलाण्ट का प्रकरण राजस्व लोक अदालत पैडका में ले जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कोई सुनवाई का मौका दिया एवं ना ही राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने का कोई नोटिस ही दिया। राजस्व लोक अदालत में प्रकरण सहमति के अनुसार ही निर्णित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई सहमति नहीं बनी। विवादित आराजी की किस्म पूर्व में आबादी थी परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने उसकी किस्म बदलकर गैर मुमकिन पोखर कर दी। विवादित साविक नम्बर अपीलाण्ट के कब्जे में उनके बुर्जुगान के समय से ही रहा है एवं उस पर अपीलाण्ट के रिहायश बनी हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो इस तथ्य पर गौर किया एवं ना ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2018 पेज 676 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप है। विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है एवं उनके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाकर, समय–समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर बेदखल किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अपना कब्जा एंव रिहायश बनी होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में ना ही हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा अथवा रिहायश बनी हो। विवादित आराजी नकल जमाबन्दी संवत 2066–68 के खाता संख्या 1 पर गैर मुमकिन पोखर की बाबत् "पानी के नीचे डूबे" हुये अंकित हैं। नकल खसरा पत्रक भू प्रबन्ध विभाग के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 127 गैर मुमकिन पोखर साविक खसरा नम्बर 149 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा, शमशान खसरा नम्बर 152 रकवा 5 विस्वा, 153 रकवा 9 विस्वा, 154 रकवा 4 विस्वा, 155 रकवा 3 विस्वा से मिलकर बनाया गया है तथा नाम कृषक गत व हाल में विवादित आराजी मकबूजा सरकार सिवायचक दर्ज है, जो एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-12-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर